उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

गुरूवार, 20 फाल्गुन, शक संवत्, 1931
(दिनांक : 11 मार्च, 2010)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।
2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. सभापति, आश्वासन समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2009-10) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। (मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)
6. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
7. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
8. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
10. श्री केदार सिंह फोनिया द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

    ''यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2010 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

    (प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **''ग''**)
11. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
12. जनपद नैनीताल के तहसील धारी के अन्तर्गत ग्राम- भौनरा, पो0ओ0-जोस्यूड़ा, निवासी श्रीमती नन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री दिनेश चन्द्र के तीन पुत्रों की विषाक्त भोजन से हुई मृत्यु के कारण आर्थिक मदद देने के संबंध में श्री खड़क सिंह वोहरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2010 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
13. जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील द्वाराहाट एवं चौखुटिया के विभागीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति डेढ़ वर्ष पूर्व मिल जाने के उपरान्त भी अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के संबंध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2010 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 11 मार्च, 2010

(महेश चन्द्र)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

गुरूवार, 20 फाल्गुन, शक संवत्, 1931

(दिनांक : 11 मार्च, 2010)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

श्री जोत सिंह गुनसोला 26.02.2010	** क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विभाग के मानकों के अनुसार एम0पी0जी0 कालेज मसूरी, जनपद देहरादून को एच0एन0 बहुगुणा विश्वविद्यालय से सम्बद्वता प्राप्त है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सम्बद्धता प्राप्त होने से उक्त कालेज की समस्त भूमि स्वतः ही विश्वविद्यालय में निहित है? क्या यह सत्य है कि सरकार महाविद्यालय परिसर भूमि को किसी अन्य संस्था के नाम पर हस्तान्तरित करने या किसी अन्य परियोजना हेतु भूमि के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जा रही है? क्या सरकार एम0पी0जी0 कालेज मसूरी को बन्द करने पर भी विचार कर रही है?	उच्च शिक्षा

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र राकेश 21.01.2010	*1. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड की कृषि योग्य भूमि की मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो गयी है? क्या पोषक तत्वों की कमी के कारण कृषि उत्पादन में इसका प्रतिकूल प्रभाव पडा हैं यदि हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**
श्री प्रीतम सिंह 21.01.2010	*2. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्य किये गये है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या प्रदेश में जैविक खेती करने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना हैं? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	**कृषि**
श्री राजेश जुवांठा 21.01.2010	*3. क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कृषि प्रधान रवांई घाटी में नकदी फसलें जैसे आलू, टमाटर, मटर, चौलाई, गोभी, सेब, आड़ू, नाशपती, खुमानी, चुल्लू, राजमा, छिमी, आदि फसलें उगाई जाती हैं? यदि हां, तो क्या सत्य है कि इन फसलों की बिक्री हेतु सहारनपुर–दिल्ली एवं देहरादून आदि मण्डियों में आना पड़ता है जिससे बचत का आधा हिस्सा किराये में ही चला जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों–काश्तकारों–बागवानों के व्यापक हित को मध्यनजर रखते हुए इस क्षेत्र के पैदावार नगदी फसलों की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**द्वितीय गुरूवार के तारांकित 04 में स्था0**
श्री सुरेन्द्र राकेश 22.01.2010	*4. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव अक्टूबर 2011 में होने प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या पंचायतों का परिसीमन/आरक्षण कर दिया गया हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	**पंचायती राज**

अतारांकित प्रश्न

श्री शेर सिंह गढ़िया
20.01.2010

1. क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले पॉच वर्षों में अनुदान पर प्रदेश के कितने जिलों में सोलर लाईट, लालटिन व अन्य उपकरणों का वितरण किया गया है तथा जनपद वार इनका विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बी0पी0एल0 के परिवारों को उपकरण निःशुल्क दिये गये है? यदि हां, तो कितने? यदि नहीं, तो क्यों?

वैकल्पिक ऊर्जा

श्री राजेश जुवांठा
21.01.2010

2. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के सीमांत ब्लॉक "मोरी" के गांवों में नकदी फसल सेब की पैदावार को देखते हुए, आराकोट–मोरी–नैटवाड–सांकरी के केन्द्र बिन्दु पुरोला में सरकार कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान

श्री प्रीतम सिंह
08.02.2010

3. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अल्चौना में सरकार फ्लोरीकल्चर पार्क एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिस उद्देश्य से उक्त प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है उसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

द्वितीय मंगलवार के अतारांकित 25 में स्था0

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ग"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं. प्रस्तावक का नाम

1. डा0 हरक सिंह रावत,
   नेता प्रतिपक्ष
2. श्री प्रीतम सिंह,
3. श्री महेन्द्र सिंह माहरा,
4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
5. श्रीमती अमृता रावत,
6. श्री दिनेश अग्रवाल,
7. श्री जोत सिंह गुनसोला,
8. श्री रणजीत सिंह रावत,
9. श्री तिलक राज बेहड़
10. श्री किशोर उपाध्याय,
11. श्री गोपाल सिंह राणा,
12. कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'
13. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल,
14. श्री करन माहरा,
15. श्री मनोज तिवारी,
16. श्री मयूख महर,

संशोधन का रूप

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-
"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में रिक्त 56 हजार पदों को भरने हेतु कोई संकल्प का उल्लेख,
2. प्रदेश में प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाये जाने,
3. प्रदेश में व्याप्त भयानक पेयजल संकट के समाधान के लिए व्यापक कार्य योजना बनाये जाने,
4. प्रदेश में लगातार हो रही विद्युत कटौती रोकने एवं ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाये जाने,
5. प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी दूर करने तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को सुलभ स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने,
6. प्रदेश में पुलिस सुधार लागू करने हेतु उप निरीक्षक तथा उससे निम्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति किये जाने,
7. प्रदेश में शिक्षा विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती किये जाने,
8. प्रदेश के शिक्षा विभाग में लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति किये जाने,
9. प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण किये जाने,
10. प्रदेश में मदरसों और संस्कृत महाविद्यालय को अनुदान दिये जाने,
11. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना तथा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए योजना बनाये जाने,
12. प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए पम्पिंग योजनाओं का निर्माण किये जाने,
13. प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने,

14. प्रदेश में स्वास्थ्य उप केन्द्रों में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की नियुक्ति करने,
15. प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना में प्रदेश के नगरों को सम्मिलित किये जाने,
16. राज्य में परिवहन निगम की स्थिति सुधारने एवं नई बसों की खरीद किये जाने,
17. राज्य में नये शहरों में आई0एस0बी0टी0 निर्माण एवं यात्री सुविधाओं का विस्तार किये जाने,
18. राज्य में नये विद्यालयों का सृजन एवं पूर्व संचालित विद्यालयों के उच्चीकरण का उल्लेख किये जाने,
19. राज्य में योग विषय को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना कर योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने,
20. जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती किये जाने,
21. राज्य में अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये योजना बनाये जाने ,
22. राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये योजना बनाये जाने,
23. राज्य में मदरसों के आधुनिकीकरण किये जाने,
24. राज्य में नये आश्रम पद्धति विद्यालय तथा छात्रावासों के निर्माण किये जाने,
25. राज्य में कर्मचारी समन्वय परिषद का गठन किये जाने,
26. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग एवं संविदा प्रवक्ताओं के समायोजन/ तदर्थ नियुक्ति किये जाने,
27. प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष 2008 तक विद्युतीकृत किये जाने,
28. राज्य में दैनिक तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों के विनियमितीकरण किये जाने,
29. विद्युत विभाग में कार्यों के ठेके प्रदेश से बाहर के बड़े ठेकेदारों के स्थान पर स्थानीय बेरोजगारों को दिये जाने,
30. प्रदेश के किसानों एवं गरीब जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमां योजना प्रारम्भ किये जाने,
31. राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की पदोन्नति किये जाने,
32. राज्य के शिक्षा आचार्य/ अनुदेशकों/ स्वयं सेवकों को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किये जाने किये जाने।

2. श्री केदार सिंह रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. रवांल्टा जौनपुरी समुदाय को केन्द्रीय अनुसूची में जोड़ने हेतु सरकार द्वारा अपनी संस्तुति करने,
2. बड़कोट एवं चिन्यालीचौड़ राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण किए जाने,

3. उत्तरकाशी जनपद में पर्यटन निदेशालय को स्थापित करने,
4. राज्य में नये जिलों के सृजन किये जाने।

3. श्री बलवीर सिंह नेगी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रभावी नीति बनाने,
2. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को वित्तीय वर्ष 2010-2011 में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 40 कि0मी0 डामरीकरण, 5 झूला पुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाईस्कूल, 5 स्वास्थ्य केन्द्रों, 5 पर्यटक आवास की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिए जाने,
3. प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण किये जाने,
4. प्रदेश में समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने,
5. प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता तथा अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने,
6. जनपद टिहरी गढ़वाल में धमातोली, दोणी, रगड़ी में मिनी स्टेडियम की स्थापना करने,
7. जनपद टिहरी के अन्तर्गत दैवीय आपदा ग्रसित गांव अगुण्डा, निवाल गांव, मेड, कोट विशन, पिन्स्वाड़ दैवीय आपदा से प्रभावितों का पुनर्वास करने, व दैवीय आपदा से निपटने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाये जाने,
8. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना की दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त नहरों के नवनिर्माण करने,
9. टिहरी बांध प्रभावितों के प्रत्येक परिवार को रोजगार व पुनर्वास करने तथा प्रत्येक वयस्क को पूर्ण परिवार का दर्जा देने,
10. जनपद टिहरी गढ़वाल के मगरों, निवाल गांव, तलिया वन, रगड़ी, केपार्स आदि हाईस्कूलों का इण्टरमीडिएट तक उच्चीकरण करने तथा जूनीयर हाईस्कूल कठैती, गंगी, पिन्स्वाड़, दोणी, पाख, जसपुर का हाईस्कूल तक उच्चीकरण करने,
11. जनपद टिहरी गढ़वाल के कोट विशन, घनशाली घौणी खाल, घनशाली अखोड़ी मूलगढ़ मोटरमार्ग, पोखार घुत्तू, देवलंग मोटरमार्ग, चमियाला-लम्बगांव मोटर मार्ग, मूलगढ़, थार्ती मोटर मार्ग बूढ़ाकेदार झाला पिन्स्वाड़ मोटरमार्ग, विनकखाल मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण, डामरीकरण,

12. जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी परिवारों को टिहरी बांध से निःशुल्क बिजली देने,
13. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र, शिक्षा आचार्यों को नियमित करने,
14. पर्यटन विकास के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में स्थित धार्मिक व पर्यटक स्थलों बूढ़ाकेदार घुत्तू, मासरताल, जरालताल, मज्याड़ताल, लम्बताल, लिंगताल, मासूताल, सहस्त्रताल, क्यार्खी बुग्याल, कूशकल्याण, बुग्याल, झाला, बेलक, खतलिंग, गंगी, पिन्स्वाड़, बिशोन पर्वत, जगदीशिला, रतकोट, मासरताल, बाला सुन्दरी, बेलेश्वर, दूदाधारी, ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, हट्कुणी, तिनगढ़, रानीगढ़ को चिन्हित कर विकसित करने,
15. उत्तराखण्ड में होमगार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/- रूपये की वृद्धि करने,
16. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों तथा पीड़ितों को विशेष मुआवजा व सम्मान दिये जाने,
17. प्रदेश में फलोत्पादन को बढ़ावा देने हेतु बीमा योजना लागू करने,
18. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चुरेना, बालगंगा, होलाणाखाल, पौखाल में विकासखण्ड खोले जाने,
19. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रतापनगर, धनसाली को जिला बनाये जाने,
20. जनपद टिहरी गढ़वाल विनयखाल उतरा में इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाने,
21. जनपद टिहरी गढ़वाल के विनयखाल अखोड़ी में महाविद्यालय खोले जाने,
22. जनपद टिहरी गढ़वाल में भिलंगना विकास खण्ड को फलपट्टी घोषित करने,
23. जनपद टिहरी गढ़वाल में सौंप, सुरकण्डा, विनयखाल में लिफ्ट पेयजल योजना को स्वीकृत किये जाने,
24. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भटगांव-लोदस, आर्स पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति किये जाने,
25. जनपद टिहरी गढ़वाल के घुत्तूपंजा से पंवाली कांठा, बूढ़ाकेदार से ज्वालामुखी, लाटा से चूलागढ़, दल्ला से किमुण्डा खाल की यातायात हेतु रज्जूमार्ग बनाये जाने,
26. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित उद्योग लगाये जाने,
27. जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार, बिनकखाल, देवठ, धमातोली, अखोड़ी में स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने,
28. जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने,
29. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील घनसाली के भलेटी खवाड़ा में हवाई पट्टी की स्थापना।

4. श्री राजेश जुवांठ

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद उत्तराकाशी के रंवाई घाटी को केन्द्रीय सूची में सम्मलित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने,
2. जनपद उत्तराकाशी के रंवाई घाटी को जिला बनाये जाने,
3. जनपद उत्तराकाशी के रंवाई घाटी में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किए जाने,
4. जनपद उत्तराकाशी के रंवाई घाटी में मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने,
5. जनपद उत्तराकाशी के अन्तर्गत भवन विहीन हाई स्कूल और इण्टर कालेज का भवन निर्माण किये जाने,
6. जनपद उत्तराकाशी के रंवाई घाटी के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव का विकास किये जाने।

5. चौ0 यशवीर सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में किसानों के निजी ट्यूबवेल/ घरेलू कनैक्शन पर (लम्बित) लगे सरचार्ज को समाप्त करने,
2. प्रदेश में दैनिक मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने,
3. प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने,
4. प्रदेश में हो रही विद्युत कटौती को समाप्त करने व बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संध्या को बिजली की सुचारू आपूर्ति करने,
5. प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु छूट की समय सीमा बढ़ाने,
6. जनपद हरिद्वार में भारत सरकार द्वारा खोले जाने वाले मेडिकल कालेज को प्रदेश में जमीन देने,
7. प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध जल आपूर्ति हेतु वर्ष में कम से कम 100 हैण्ड पम्प देने,
8. राज्य में ग्रामों के तालाबों/ जोहड़ो पर अतिक्रमण हटाने,
9. बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में जनसंख्या के हिसाब से जूनियर हाई स्कूल खोलने,
10. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत करबा झबरेड़ा के राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज को डिग्री कालेज बनाने तथा
11. देहरादून झबरेड़ा दिल्ली मार्ग पर रोडवेज (उत्तराखण्ड सरकार) की (नियमित सेवा) बस चलाने।

6. श्री नारायण पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में उद्योगों के लिए औद्योगिक पैकेज की समय की समय सीमा बढ़ाये जाने,
2. प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने,
3. कुमाऊ मण्डल के सफर को आसान करने व जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मोटर मार्ग से अब तक वंचित ग्रामों के लिए महत्वपूर्ण मौरनोला-मझोला मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
4. प्रदेश के चिकित्सक विहीन सभी ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती शीघ्र किये जाने,
5. प्रदेश के पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में नयी पेयजल योजनाऐं बनाये जाने,
6. प्रदेश में लगातार चल रही घोषित व अघोषित विद्युत कटौती रोके जाने,
7. कुमाऊं मण्डल के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में आई0एस0बी0टी0 का शीघ्र निर्माण व यात्री सुविधाओं में वृद्धि किये जाने,
8. प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों मुंसिफ कोर्ट, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालयों की स्थापना किये जाने,
9. प्रदेश के राष्ट्रीय राज मार्ग (एन0एच0) पर स्थित जर्जर हो चुके पुलों के स्थान पर नये पुलों का शीघ्र निर्माण किये जाने,
10. प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधानों, उप प्रधानों का मानदेय बढ़ाये जाने के साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी मासिक मानदेय दिये जाने,
11. प्रदेश के भीतर कार्यरत सभी आशा व आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाये जाने,
12. प्रदेश के समस्त ग्रामों को मोटर मार्ग की सुविधा हेतु कार्ययोजना तैयार करने,
13. प्रदेश में कार्य कर रहे सभी स्वयं सेवी संगठनों (एन0जी0ओ0) के कार्यो की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने,
14. प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत व अभी तक नौकरी से वंचित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
15. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में माननीय विधायकों की संस्तुतियों पर मोटर मार्गो व पुलों के निमार्ण कराये जाने,
16. नैनीताल जनपद के सर्वाधिक अविकसित विकास खण्ड ओखलकांडा के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक कार्ययोजनायें बनाये जाने,

17. राज्य में अनुसूचित जाति व जनजातियों के विकास हेतु योजना बनाये जाने,
18. सितारगंज विधान सभा क्षेत्र में स्थित राणा-थारू समाज के ऐतिहासिक स्थल मीराबारा में पर्यटन की दृष्टि से स्मारक स्थल निर्माण हेतु कम से कम एक करोड़ रूपये दिये जाने,
19. जनपद ऊधमसिंहनगर के शक्तिगढ़ क्षेत्र में बसे विस्थापित बंगाली परिवारों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने,
20. पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ व अधिक ऊंचाई वाले ग्रामों जहां सड़कों का निर्माण आसान नहीं हो उन्हे रज्जू मार्गो की सुविधा दिये जाने,
21. तराई- भाबर समेत नैनीताल जनपद के पेयजल समस्या ग्रस्त हल्द्वानी नगर क्षेत्र के लिए प्रस्तावित पुनर्गठन पेयजल योजनाओं पर कार्य शुरू किये जाने,
22. विकास खण्ड ओखलकांडा जनपद नैनीताल के ढोलीगांव क्षेत्र में सहकारी बैंक स्थापित किये जाने,
23. जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू करवाये जाने,
24. राज्य के भीतर स्थित सभी संस्कृत विद्यालयों व मदरसों को वित्तीय सहायता देकर उनका आधुनिकीकरण किये जाने,
25. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के सफल क्रियान्वयन हेतु लोकपालों की तैनाती किये जाने।

7. श्री प्रेमानन्द महाजन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत मुनस्यारी कोपा-गदरपुर में झूला पुला का निर्माण किये जाने,
2. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत पंतनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में खस्ताहाल मार्गो का पुनः निर्माण/ मरम्मत किये जाने,
3. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत गदरपुर पंतनगर विधान सभा क्षेत्र एन0एच0 74 के कि0मी0 209 से बिन्दूखेड़ा होते हुए गदरपुर-दिनेशपुर-मटकोटा मार्ग रा0इ0का0 जयनगर तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम भगवानपुर में काशीपुर मार्ग से जयप्रकाश मिश्रा के खेत तक मार्ग का अनुरक्षण किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत विकासखण्ड गदरपुर में सम्पतपुर से नरपतनगर होकर लम्बखेड़ा नहर तक मार्ग निर्माण किये जाने,

6. जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र पंतनगर के विकास खण्ड गदरपुर के रा0उ0मा0वि0 कुला का उच्चीकरण किये जाने,
7. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र गदरपुर को विकसित किये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र गदरपुर को ट्रैफिक दबाव से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास निर्माण किये जाने,
9. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत गदरपुर में बस अड्डा बनाये जाने,
10. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर के अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरे जाने,
11. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में खराब पड़े हैण्डपम्पों को सुधारे जाने,
12. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पंतनगर में भूमि संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रयास किये जाने,
13. प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी0पी0एल0 में सम्मिलित किये जाने,
14. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पंतनगर-गदरपुर में बंगाली अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के उत्थान किये जाने,
15. जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत विकासखण्ड गदरपुर भाखड़ा नदि कागरसेन, अधुवा नदि आदि द्वारा बेशकीमती कृषि भूमि का भू कटान रोकने,

8. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. गैरसैंण को राज्य की स्थाई राजधानी घोषित किये जाने,
2. राज्य में स्थापित विद्युत उत्पादन केन्द्रों से पूरे वर्ष 100 प्रतिशत विद्युत उत्पादन कराने,
3. राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराने एवं सही वोल्टेज उपलब्ध कराने,
4. केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गयी एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये धन के सापेक्ष 50 प्रतिशत धन राज्य सरकार द्वारा लगाते हुए नवीन शैक्षिक सस्थानों के आवर्ती खर्चे राज्य सरकार द्वारा वहन करने,
5. राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पेन्शन, छात्रवृत्तियों को पात्रों तक प्रति माह पहुंचाना सुनिश्चित करने,

6. राज्य के समस्त सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर 24 घण्टे डाक्टर एवं जरूरी दवा उपलब्ध कराये जाने,
7. राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में यूनानी डाक्टरों को भर्ती किये जाने,
8. राज्य की पुलिस से 303 की राईफल पूर्णतः खत्म कर नई आधुनिक एवं हल्की राईफलें उपलब्ध कराये जाने,
9. राज्य के किसानों को गन्ने की नई प्रजातियां उपलब्ध कराने,
10. राज्य के किसानों को फसलों की बुआई के समय उर्वरक उपलब्ध कराने,
11. राज्य में वानिकी (एग्रो फारिस्ट्री) को प्रोत्साहित किये जाने,
12. राज्य में यूकेलिप्टस के निर्गम पर रवन्ना समाप्त करने,
13. राज्य सरकार द्वारा लगाये गये करों को कम करने,
14. राज्य के नगरीय क्षेत्रों में जल भराव रोकने हेतु योजना बनाये जाने,
15. राज्य के नगरीय क्षेत्रों को साफ रखने हेतु प्रति नगर सफाई कर्मी बढ़ाने एवं कूड़े के लिए ट्रेन्च ग्राउंड बनाये जाने,
16. राज्य सरकार द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं सी0आर0एफ0 में सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजे जाने,
17. राज्य के विभिन्न योजनाओं में एस0सी0पी0 का निर्धारित अंश समयावधि में उपयोग किये जाने,
18. राज्य में ध्वनि प्रदूषण को कम करने,
19. राज्य में सिंचाई विभाग के नलकूपों को 100 प्रतिशत ठीक किये जाने,
20. सरकारी अस्पतालों में एन्टी रैबीज़ इन्जैक्शन उपलब्ध कराने,
21. जनपद हरिद्वार में यात्रा सीजन एवं अन्य पर्वो पर जाम से बचने के लिए को- ट्रैफिक योजना होने,
22. जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर के बाजार एवं मौहल्लों में जाम करने हेतु गधारोण रोड, लण्डौरा रोड, मडलाना रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास के निर्माण,
23. जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने,
24. जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
25. जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में खेल हेतु स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण किये जाने,
26. जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर की 30 वर्षो से चल रही चकबन्दी को पूर्ण किये जाने,
27. राज्य में आबादी क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाईन को बदले जाने,
28. राज्य में चीनी मिलों को एथनौल के उत्पादन की अनुमति दिये जाने।

1. श्री सुरेन्द्र राकेश
2. मौ0 शहजाद
3. श्री हरिदास
4. हाजी तसलीम अहमद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
2. हरिद्वार जनपद में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या के अनुसार ही राशन कार्ड बनाकर वितरित किये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दौडा में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत पौलिटेक्निक का निर्माण कराये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत कार्यो को स्वीकृत किये जाने,
6. राज्य में जंगली जानवरों से लोगों की जानमाल की सुरक्षा हेतु कार्य योजना बनाकर लागू किये जाने,
7. जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र भगवानपुर में आई0टी0आई0 का निर्माण किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र भगवानपुर के खेड़ीसिकोहपुर एवं मजाहदपुर सतीवाला गांव में नदियों पर पुल निर्माण किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर गांव को तहसील बनाये जाने,
10. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र भगवानपुर के घाड़ क्षेत्र में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई एवं विद्युत की व्यवस्था किये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर वि0स0 क्षेत्र में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर वि0स0 क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण किये जाने,
14. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर वि0स0 क्षेत्र में फायर स्टेशन बनाये जाने,
15. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कलियर सरीफ का सौन्दर्यीकरण कराये जाने,
16. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत माँ चूणामणि देवी चूड़ियाला मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं राजा विजय सिंह शहीद स्मारक का सौन्दर्यीकरण किये जाने,
17. एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में रविदास मंदिरों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने,
18. एस0सी0पी0 योजना को चलाने के लिए अलग से विभाग का गठन किये जाने तथा धन का समय से सदुपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने,

19. राज्य में किसानों को गन्ने का मूल्य प्रति कुन्तल 350/- रूपये दिये जाने का प्राविधान किये जाने,
20. जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र लालढ़ांग में खासन नदी पर रपटापुल का निर्माण किये जाने,
21. राज्य में आबकारी नीति के अन्तर्गत आयातित शराब पर आयात शुल्क बढ़ाये जाने,
22. जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र लालढ़ांग के काठापीर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने,
23. जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र लालढ़ांग के ग्राम पदार्थ में रविदास आश्रम का सौन्दर्यीकरण कराये जाने,
24. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत वि0 स0 क्षेत्र लालढ़ांग के ग्राम सुल्तानपुर को नगरपंचायत का दर्जा दिये जाने,
25. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र लालढ़ांग में विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने,
26. प्रदेश में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,
27. प्रदेश में लगातार हो रही विद्युत कटौती रोकने एवं ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाये जाने,
28. प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी दूर करने तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को सुलभ स्वास्थ्य सेवायें उपल्ध कराये जाने,
29. प्रदेश में पुलिस सुधार लागू करने हेतु उपनिरीक्षक तथा उससे निम्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति किये जाने,
30. प्रदेश में शिक्षा विभाग में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती किये जाने,
31. प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नयी सड़कों का निर्माण पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण किये जाने,
32. प्रदेश में मदरसों और संस्कृत महाविद्यालय को अनुदान दिये जाने,
33. प्रदेश में उद्योगों की स्थापना तथा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए योजना बनाये जाने,
34. प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने,
35. कुम्भ मेले की तरह कलियर सरीफ मेले की व्यवस्था सरकारी खर्च पर किये जाने,
36. प्रदेश में स्वास्थ्य उप केन्द्रों में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की नियुक्ति करने,
37. राज्य में नये विद्यालयों का सृजन एवं पूर्व संचालित विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
38. राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजना बनाये जाने,
39. राज्य में मदरसों के आधुनिकीकरण किये जाने ,
40. प्रदेश के किसानों एवं गरीब जनता के लिए प्राकृतिक आपदा, बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने तथा
41. राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की पदोन्नति किये जाने।